न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49 / 2014

1 प्रभुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
2 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
3 पटवारी पटवार हल्का बावड़ी जिला सीकर राजस्थान।
4 जिला कलेक्टर सीकर राजस्थान।
5 गेंदालाल पुत्र रामकुंवार जाति महाजन निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
6 जगदीश प्रसाद पुत्र छाजुराम।
7 रामबक्स पुत्र उदाराम।
8 कजोड़ पुत्र रामबक्स समस्त जाति जाट निवासीगण बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.10.2012
न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला उनवानी
प्रकरण गेदालाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार
आवेदन मुकदमा नम्बर 236 / 2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 22.02.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 236/2012 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय का पेश किया की भूमि खसरा नम्बर 781, 782, 780, 758, 759, 760, 754 कुल किता 7 कुल रकबा 3.80 है. तथा भूमि खसरा नम्बर 761, 762, 77 कुल किता 3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.78 है. तथा भूमि खसरा नम्बर 779 रकबा 2.45 है. तन ग्राम बावडी तहसील खण्डेला मे अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी व दावे मे तरतीबी प्रतिवादीगण व सहखातेदार काबिज काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 778 रकबा 0.23 है., 783 रकबा 0.21 है. तन ग्राम बावडी तहसील खण्डेला में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी राज्य सरकार के नाम से कतई गलत दर्ज है। उक्त भूमि को नजरी नक्शे मे रास्ते के रूप मे गलत दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी विगत 60 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप मे नही है। उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से राज्य सरकार के नाम चली आ रही है। इस कारण उक्त भूमि पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदार काबिज होने के कारण एवं प्रार्थी का 60 वर्ष से अधिक अवधि से काबिज होने के कारण उक्त भूमि में प्रार्थी व तरतीबी पक्षकार के कब्जे अधिकार मे व्यवधान नही डाले जाने, प्रार्थी को बेदखल नही करने व प्रार्थी की काश्त मे मजाहमत नही करने की इस्तदुआ चाही गयी। प्रार्थी द्वारा मौका कमिश्नर का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन दिया जाकर मौके की वास्तविक स्थिति रिकार्ड कर लिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2012 को प्रार्थी का मौका कमिश्नर आवेदन व अंतरिम स्टे आवेदन निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट का उनके अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण विचाराधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में रास्ता सम्वत् 2054 से पूर्व जयपुर सीकर वाया रींगस था उस समय उक्त रास्ता आवागमन के काम में आता था बाद में उक्त हाईवे बनने कारण रास्ता बन्द हो गया। मौके पर कोई रास्ता व पद चिन्ह मौजुद नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि पर 60 वर्षो से काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार मौके पर कोई रास्ता नही होने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र गलत रूप से रिकार्ड मे चले आ रहे रास्ते के अंकन के आधार पर उक्त स्टे आवेदन निरस्त कर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 783 को जमाबन्दी मे सिवायचक काबिज काश्त लगानी एवं भूमि खसरा नम्बर 778 को पगडंडिया तथा रास्ते बताया गया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि कोई रास्ते के काम नही आ रही है। बल्कि उक्त भूमियों के सीवजोड अन्य भूमि खसरा नं. जो आवेदन की मद सं. 1 मे अंकित है के खातेदार ही काबिज काश्त है तथा इनके मध्य कोई सीवजोड नहीं है। उक्त तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जॉच किये मनमाने आधार पर प्रार्थी का स्टे आवेदन निरस्त कर दिया गया। इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय है। उक्त भूमियों की खातेदारी सेटलमेन्ट के समय सैटलमेन्ट कर्मचारीयो की गलती के कारण विवादित भूमि को सिवायचक व नजरी नक्शे में रास्ता बताया गया है। जबकि 60 वर्षो से उक्त भूमि रास्ते के काम नही आ रही है तथा न ही मौके पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई रास्ता है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी विवादित भूमि पर शन्तिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा काफी रूपये खर्चा कर उपजाऊ व समतल बनाया है। इसलिये प्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर गोर नही कर केवल मात्र राजस्व रिकार्ड के आधार पर मौके पर रास्ता मानकर प्रार्थी को स्टे नहीं दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी गैंदालाल बनाम भूमि अधिकारी प्रार्थना पत्र संख्या 236/2012 प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन ही विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को एकपक्षीय सुनकर विवादित भूमि रास्ते की, राजकीय भूमि होने के कारण प्रार्थी अपीलांट को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देना उचित नहीं माना है। धारा 212 का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय में होना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। राजकीय भूमि होने से स्थगन नहीं देने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। चूंकि अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रार्थी था अतः यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट को विचाराधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी गैंदालाल बनाम भूमि अधिकारी प्रार्थना पत्र संख्या 236/2012 प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन ही विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को एकपक्षीय सुनकर विवादित भूमि रास्ते की, राजकीय भूमि होने के कारण प्रार्थी अपीलांट को अंतरिम अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

निषेधाज्ञा देना उचित नहीं माना है। धारा 212 का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय में होना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। राजकीय भूमि होने से स्थगन नहीं देने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। चूंकि अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रार्थी था अतः यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट को विचाराधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर